न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील निर्वाचन सं0 11/2020

1—साजिद खान पुत्र जलीस खान जाति मेव निवासी समसलका वार्ड नं. 11 ग्राम पंचायत खेड़ली मन्ना पंचायत समिति पहाड़ी जिला भरतपुर (राज0) ।

.... अपीलान्ट

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.),पंचायत समिति क्षेत्र,पहाड़ी, जिला भरतपुर

.......रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07.10.2020 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), पहाड़ी जिला भरतपुर बावत ग्राम पंचायत खेड़लीमन्ना पं0स0 पहाड़ी की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने बावत ।

निर्णय   दिनांकः— 24.11.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07.10.2020 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), पहाड़ी जिला भरतपुर पेश की है । अपीलाधीन आदेश में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पहाड़ी) ने अपीलान्ट साजिद खान पुत्र जलीस खान के प्रारूप —1 निर्वाचन नामावली में नाम सम्मलित किये जाने के लिए आवेदन को निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तहत पत्रावली तलव की गई । निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पहाड़ी) से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई ।

इसी दौरान दिनांक 23.10.2020 को प्रार्थी अकबर पुत्र सिरदार खान जाति मेव निवासी ग्राम जोधपुर तहसील पहाड़ी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

.... 2

जिला कलक्टर, भरतपुर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.11 12:26:24 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर को अपीलान्ट के नाम जुड़वाने बावत शिकायत प्रार्थना पत्र देने पर ही उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी ने जांच की और इसी जांच के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र नाम जोड़ने बावत खारिज किया है। । इस कारण प्रार्थी इस अपील में आवश्यक पक्षकार है जिसका नाम अपील में जोड़ा जावे । अभिभाषक प्रार्थी का यह भी कथन है कि अपीलान्ट गढ़ाजान का मूल निवासी है । गांव गढ़जान की मतदाता सूची में उसका नाम प्रारम्भ से ही है। पंचायत समिति पहाड़ी में इस वर्ष ओ0बी0सी0 के प्रधान की सीट रिजर्व है । इस कारण अपीलान्ट बिना किसी आधार के अपना नाम जुड़वाकर प्रधान बनना चाहता है। प्रार्थी भी प्रधान पद का उम्मीदवार है इसलिए प्रार्थी विचाराधीन अपील में आवश्यक पक्षकार होने से प्रार्थी को रेस्पो0 संख्या 2 बनाया जावे ।

अभिभाषक अपीलान्ट/अप्रार्थी ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी ने पक्षकार बनने का कोई आवेदन उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया । चूँकि प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी के यहां न तो पक्षकार था और न उसने अधिनस्थ न्यायालय में कोई कार्यवाही की । वैसे भी प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम जोधपुर तहसील पहाड़ी में नाम जुड़वाना अंकित किया है जबकि अपीलार्थी ग्राम समसलका में अपना नाम जुड़वाना चाहता है । इस कारण प्रार्थी को न्यायालय हाजा में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता । न्यायालय को उपखण्ड अधिकारी के आदेश की कानूनी वैधता को देखना है । इसके लिए प्रार्थी को अपील में पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस 2013(3)डीएनजे(राज0)पेज 1057 की नजीर प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 सीपीसी खारिज करने का निवेदन किया है ।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गतधारा 01 नियम 10 सीपीसी का अवलोकन किया । उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी के न्यायालय में पक्षकार बनने बावत कोई कार्यवाही नहीं की, जबकि प्रार्थी को अपीलान्ट/अप्रार्थी नाम सम्मलित करने के प्रार्थना पत्र की पूर्ण जानकारी थी । जानकारी होते हुए भी प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पक्षकार बनने बावत कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण प्रार्थी ने अपने कानूनी अधिकार का त्याग कर दिया, जिस कारण प्रार्थी को अपील के स्तर पर पक्षकार नहीं बनाया जा सकता । न्यायालय को विचाराधीन अपील में उपखण्ड अधिकारी के आदेश की कानूनी वैधता को देखना है, जिसके लिए प्रार्थी को पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता

.........3

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.11 12:26:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रतीत नहीं होती । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय 2013(3)डीएनजे(राज0)पेज 1057 में प्रतिपादित नजीर भी इस तथ्य पर पूर्ण रूपेण चस्पा होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गतधारा 01 नियम 10 सीपीसी खारिज किया जाता है ।

तत्पश्चात मूल अपील पर बहस सुनी गई । योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुए बताया कि ई0आर0ओ0 पहाड़ी द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र नियम विरूद्ध खारिज किया गया है । उनका कहना है कि निर्वाचन नामावली में नाम सम्मलित किये जाने के लिए आवेदन पर बी0एल0ओ0 एवं तहसीलदार पहाड़ी ने अपीलान्ट का नाम ग्राम समसलका वार्ड नं. 11 ग्राम पंचायत खेड़ली मन्ना पंचायत समिति पहाड़ी की मतदाता सूची में जोड़े जाने की सिफारिस की गई है जिसे रेस्पोडेन्ट ने नजरंदाज करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो गलत है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि ग्राम पंचायत खेड़लीमन्ना के सरपंच व वार्ड नं0 11 के निवासियों के शपथ पत्र एवं निवास की पुष्टि के लिए किराया नामा भी प्रस्तुत किया था। अपीलान्ट ने गढ़ अजान की मतदाता सूची में से अपना नाम पृथक कराने की रसीद भी प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई थी । अपीलान्ट ने गढ़ अजान में दिनांक 15.03.2020 को सम्पन्न हुए सरपंच व वार्ड पंच के चुनाव में वोट नहीं डाला है,की बावत अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था । योग्य अभिभाषक ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), पहाड़ी ने बिना कोई जांच किये व बिना किसी आधार के कानूनी प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज के है । अन्त में योग्य अभिभाषक ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट का नाम ग्राम पंचायत खेड़लीमन्ना की मतदाता सूची के वार्ड नं011 ग्राम समसलका में शामिल किये जाने के आदेश दिए जाने की प्रार्थना की गई ।

तत्पश्चात पत्रावलीयों का अवलोकन कर योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया । तहत पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र प्रारूप–1 निर्वाचक नामावली में सम्मलित किये जाने के लिए आवेदन का गहनता से अध्ययन किया । प्रार्थना पत्र में सम्बन्धित बी0एल0ओ0 ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट/प्रार्थी साजिद खान का नाम ग्राम पंचायत खेड़लीमन्ना वार्ड संख्या 11 की नामावली में नाम जोड़े जाने की सिफारिस की गई है । तहसीलदार पहाड़ी ने प्रार्थी का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाना उचित बताया है जबकि

.........4

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.11 12:26:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) पहाड़ी ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2020 में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का कोई तार्किक विवेचन नहीं किया जाकर केवल " मामूली निवास के संतोषप्रद दस्तावेज के अभाव में आवेदन निरस्त (अस्वीकार) किया जाता है" आदेश पारित किया है, जबकि तहत पत्रावली में उपलब्ध सरपंच,ग्राम पंचायत खेड़लीमन्ना एवं इरफान खान पुत्र यासीन खान,रमजान पुत्र महमूदा, ताहिर पुत्र महमूदा, आरिफ पुत्र सपात, **निवासियान वार्ड नं0 11 समसलका** ग्राम पंचायत खेड़लीमन्ना पंचायत समिति पहाड़ी ने इस आशय के **शपथ पत्र दिए गए हैं** कि प्रार्थी साजिद खान गत एक साल से ग्राम समसलका में इरफान पुत्र यासीन के साथ निवास कर रहा है। इसके अलावा प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत गढ़ाजान की मतदाता **सूची से नाम हटाने बावत प्रार्थना** पत्र ई0आर0ओ0 कामां के यहां प्रस्तुत किया गया है जिसकी रसीद पत्रावली पर उपलब्ध है।, **बी0एल0ओ0, तथा तहसीलदार पहाड़ी द्वारा की गई सिफारिस उक्त शपथ पत्रों तथा किरायानामा मकान मालिक ताहिर पुत्र महमूदा जाति मेव** निवासी समसलका के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी ग्राम पंचायत खेड़लीमन्ना की मतदाता सूची के वार्ड नं0 11 ग्राम समसलका में शामिल किया जाना उचित पाते हैं। निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने,हटाने की प्रकिया को इतना उदार इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी भारतीय नागरिक मत देने एवं चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित ना रहे ।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.10.2020 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट/प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत खेड़लीमन्ना की मतदाता सूची के वार्ड नं0 11 ग्राम समसलका में जोड़े जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ मय तहत पत्रावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) पहाड़ी को प्रेषित हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.11 12:26:24 IST
Reason: SelfAttested